

# Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)

State Institute of Agriculture Management Campus,

Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018

Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506

Web: www.rajolive.com, Email: rocl@rajolive.com, CIN: U01122RJ2007PLC024246

No. F(381)/ROCL/2020-21/102-105

Jaipur, dated 11/05/2020

## कार्यालय आदेश

राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019-20 में किसानों के खेतों में उत्पादित जैतून के फलों में तेल निकालने हेतु माह सितम्बर 2019 से नवम्बर 2019 के मध्य जैतून तेल सोधन संयंत्र का संचालन किया गया था। जिसमें होने वाले व्यय सभी किसानों से फल की मात्रा के अनुसार अनुपातिक लिया जाना था। जैतून की फसल राज्य में एक नई फसल होने व फलों से तेल की मात्रा कम प्राप्त होने के कारण, किसानों को सहयोग व प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 29.04.2020 में निर्णय लिया गया है कि तेल निकालने में हुये व्यय को किसानों से नहीं लिया जावे। जिसका समायोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की संचालित परियोजना में से किया जाना है।

यह आदेश आयुक्त कृषि, राजस्थान व प्रबंध निदेशक राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड से अनुमोदित है।

(सुरेन्द्र सिंह शेखावत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Jaipur, dated 11/05/2020

No. F(320)/ROCL/2020-21/102-105

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. लेखा शाखा कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि तेल निकालने में हुये व्यय को कंपनी लेखों में समायोजित कर जिन किसानों ने राशि जमा करवा दी है, उन्हें लौटाने की कार्यवाही करे।
2. फार्म प्रबंधक, लूनकरणसर को भेजकर लेख है कि किसानों को तेल सुपर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। इस में किसी प्रकार की पैकिंग सामग्री लगती है तो उक्त व्यय किसान द्वारा वहन किया जावेगा व ट्रांसपोर्ट भी किसान को स्वयं करना होगा।
3. समबन्धित कृषक.....
4. रोकड़/तकनीकी/संस्थापन शाखा

(सुरेन्द्र सिंह शेखावत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी